स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (दिनाँक 19.11.2015)

प्रस्तावित प्रोजेक्ट में इस प्रभाग के अन्तर्गत राज्यमार्ग संख्या–93 के गोला–शाहजहाँपुर हिस्से में 0.0 किमी. से 49.0 किमी. तक चौड़ीकरण का कार्य होना है।

प्रोजेक्ट में प्रभावित होने वाली वन भूमि तथा चौड़ीकरण हेतु बाधक वृक्षों, जिनका पातन प्रस्तावित है, का निरीक्षण याचक विभाग के साथ दिनाँक 19.11.2015 को किया गया। निरीक्षण में प्रभावित होने वाले वृक्षों, जिसकी सूची याचक एजेंसी द्वारा चिन्हित किये गये वृक्षों के आधार पर संयुक्त रूप से बनाई गई है, की पुष्टि की गई। यह पाया गया कि प्रस्तावित वृक्षों का पातन आवश्यक है तथा न्यूनतम है। चूँकि चौड़ीकरण का कार्य वर्तमान में संचालित राज्यमार्ग के दोनों ओर ही किया जाना है, अतः इस हेतु अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।

चौड़ीकरण में इस प्रभाग की कुल 49.098 हे0 वन भूमि का हस्तानान्तरण प्रस्तावित है, जिसमें 47.10 हे0 संरक्षित वन तथा 1.998 हे0 आरक्षित वन (Reserved Forest) शामिल है। राज्यमार्ग संख्या–93 जिसके दोनों ओर चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है, की दोनों पटरियॉ भारतीय वन अधिनियम की धारा–29 के अन्तर्गत संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित है।

यह मार्ग किमी. 12.800 से 15.600 के मध्य आरक्षित वन से गुजरता है। आरक्षित वन के अन्तर्गत किमी. 12.755 से किमी. 12.940 के मध्य पूर्व से विद्यमान पुल के स्थान पर नया पुल भी बनाया जाना है। इस प्रकार चौड़ीकरण में कुल 1.998 हे0 आरक्षित वन भी प्रभावित हो रहा है एवं संरक्षित वन से निकलने वाले हिस्से को निकटवर्ती वनों में विद्यमान वन्य जन्तुओं के सड़क के दोनों ओर आवागमन में सहायता के उद्देश्य से दो छोटी पुलिया (2 x 1.5 mt.) की आवश्यकता है जिस पर याचक विभाग द्वारा सहमति प्रदान की गई।

इस प्रकार प्रोजेक्ट में पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या तथा चौड़ीकरण में प्रभावित वन भूमि आवश्यक एवं न्यूनतम पाई गई।

प्रभागीय वनाधिकारी
दक्षिण खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर–खीरी